सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
नई दिल्ली -110 017

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता

1.0 परिचय

1.1 इस आचार संहिता ("इस संहिता") को सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसके बाद "कंपनी" के रूप में उल्लिखित) के "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों के लिए आचार संहिता" कहा जाएगा ।

1.2 इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया बढ़ाने के लिए है ।

1.3 यह 1 अगस्त, 2015 से लागू होगी और संहिता में संशोधन, यदि कोई हो, उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसे समय-समय पर इसे अधिसूचित किया गया है।

2.0 परिभाषाएं और निर्वचन

इस संहिता में, जब तक कि इसे अर्थ या संदर्भ के प्रति प्रतिकूल नहीं किया जाता है, निम्नलिखित भाव नीचे उन्हें दिए गए अर्थ का होगा:

2.1 शब्द "बोर्ड के सदस्य" का मतलब कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशक होंगे ।

2.2 शब्द "पूर्णकालिक निदेशकों" से तात्पर्य बोर्ड के वे सदस्य हैं जो कंपनी के पूर्णकालिक सेवायोजन में हैं।

2.3 शब्द "अंशकालिक निदेशकों" से तात्पर्य बोर्ड के उन सदस्यों से होगा जो कंपनी के पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं।

2.4 शब्द "नातेदार" से तात्पर्य कंपनी (परिभाषा विवरण का विनिर्देश) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) में यथा परिभाषित 'नातेदार' के अर्थ में होगा (परिशिष्ट - 1 देखें) ।

2.5 शब्द "वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिक" से तात्पर्य कंपनी के उन कर्मिकों से है जो अपर महा प्रबन्धक और इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी हैं ।

2.6 शब्द "कंपनी" से तात्पर्य सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से होगा ।

इस संहिता में, शब्द पुल्लिंग से अभिप्राय में स्त्रीलिंग शामिल होगा और शब्द एकवचन से अभिप्राय में शब्द बहुवचन शामिल होगा या इसके विपरीत।

3.0 अनुप्रयोज्यता

3.1 यह संहिता निम्नलिखित कार्मिकों पर लागू होगी:

क) पूर्णकालिक निदेशक

ख) विधि के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशकों सहित अंशकालिक निदेशक

ग) यथा परिभाषित वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक

4.0 मुख्य आवश्यकताएँ

बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक कंपनी के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए, उन पर प्रदत्त प्राधिकार के अन्दर कार्य करेंगे और निम्नलिखित का पालन करेंगे :

क) तत्परता और अखंडता के साथ कार्य करना;

ख) अत्यंत सद्भावना से कार्य करना;

ग) उस विषय पर कोई भी निर्णय लेने में अन्तर्ग्रस्त नहीं होना जिसमें हित का टकराव उत्पन्न होता है या जो, उसकी राय में, उत्पन्न होने की संभावना है;

घ) (क) रिश्तेदार (ख) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें वह या उसके रिश्तेदार सदस्य या निदेशक हैं (ग) प्राईवेट लिमिटेड कंपनी, जिसमें उसके या उसके रिश्तेदार के 2% या अधिक शेयर या वोटिंग का अधिकार और (घ) किसी फर्म, जिसमें रिश्तेदार साझीदार है, के साथ बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बिना व्यापार करने से बचें;

ङ.) कंपनी से संबंधित किसी भी व्यावसायिक सौदे में किसी भी व्यक्तिगत और / या वित्तीय हित का प्रकटीकरण और उससे बचें ;

च) किसी ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता के साथ किसी भी सौदे से बचें जो व्यवसायिक, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी आधार पर कारोबार करने की क्षमता से समझौता करता है या कंपनी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को प्रभावित करता है;

छ) कोई पद या नौकरी धारण न करें या बाहर के व्यवसायों या अन्य हितों में संलग्न न हों जो कंपनी के हितों के प्रति प्रतिकूल है;

ज) अपने स्वयं के व्यक्तिगत लाभ के अवसरों का फायदा नहीं उठाएं जिससे निगमित संपत्ति, सूचना या स्थिति के उपयोग के माध्यम से पता चले, जब तक कि अवसर का खुलासा नहीं किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती है;

झ) कोई भी वक्तव्य न दें जिससे किसी नीति या सरकार या कंपनी की कार्रवाई पर प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव पड़े या जो कंपनी और जनता या हितधारकों सहित कंपनी के प्रबंधन और उसके कर्मचारियों के बीच संबंधों में उलझन पैदा करने में सक्षम हो;

ञ) नैतिक अधमता या सार्वजनिक नीति का विरोध में अन्तर्ग्रस्त कोई अपराध न करें जिसके फलस्वरूप दोषी ठहराए जाएं।

5.0 निदेशकों के कर्तव्य

क) कंपनी का निदेशक कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार कार्य करेगा।

ख) कंपनी का निदेशक कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए, पूरी तरह से कंपनी के लाभ के लिए और कंपनी के हितधारकों के सर्वोत्तम हित के लिए सद्भाव में कार्य करेगा।

ग) कंपनी का निदेशक सम्यक और उचित सावधानी, कौशल और तत्परता से अपने कार्य करेगा और स्वतंत्र निर्णय लेगा।

घ) कंपनी का निदेशक उस स्थिति में अन्तर्ग्रस्त नहीं होगा जिसमें उसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुचि हो जिससे कंपनी के हित पर प्रतिकूल या सम्भवत: प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

ड.) कंपनी का निदेशक अपने या अपने रिश्तेदारों, भागीदारों, या सहयोगियों को किसी भी अनुचित लाभ या फायदा प्राप्त करने या प्राप्त करवाने का प्रयास नहीं करेगा और यदि ऐसा निदेशक कोई अनुचित लाभ लेने का दोषी पाया जाता है, तो वह उस लाभ के बराबर राशि का भुगतान कंपनी को करने के लिए उत्तरदायी होगा।

च) किसी कंपनी का निदेशक अपने कार्य को किसी को नहीं सौंपेगा और ऐसा किया गया कोई समनुदेशन रद्द हो जाएगा।

6.0 स्वतंत्र निदेशकों के कर्त्तव्य

स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निम्नलिखित होंगे :

1. उचित प्रवेश कराना और कंपनी के साथ अपने कौशल, ज्ञान और सुविज्ञता को नियमित रूप से अद्यतन और ताज़ा करना;

2. उपयुक्त स्पष्टीकरण या सूचना का प्रवर्धन करना और जहां आवश्यक हो, कंपनी के व्यय पर उचित पेशेवर सलाह और बाहरी विशेषज्ञों की राय लेना और अनुसरण करना;

3. निदेशक मंडल और बोर्ड समितियों, जिसका वह सदस्य है, की सभी बैठकों में भाग लेना;

4. बोर्ड की समितियों में रचनात्मक और सक्रिय रूप से भाग लेने का प्रयास करना जिनमें वे अध्यक्ष या सदस्य हैं;

5. कंपनी की सामान्य बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना;

6. जहां कंपनी के चलने या प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में उन्हें चिंताएं हैं वहां यह सुनिश्चित करें कि ये बोर्ड द्वारा दूर की जाएं और जिस सीमा तक वे हल नहीं होती हैं, तो इस बात पर बल दिया जाए कि उनके चिंताओं को बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किए जाएं;

7. कम्पनी और बाहरी वातावरण, जिसमें ये परिचालित है, के बारे में अच्छी जानकारी रखी जाए;

8. किसी अन्य उचित बोर्ड या बोर्ड की समिति के कामकाज में गलत तरीके से बाधा न डाली जाए;

9. पर्याप्त ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि संबंधित पार्टी के लेनदेन को स्वीकृति देने से पहले पर्याप्त विचार-विमर्श किया जाता है और स्वयं आश्वस्त हों कि वह कंपनी के हित में है;

10. यह पता लगाना और सुनिश्चित करना कि कंपनी के पास पर्याप्त और कार्यात्मक निगरानी तंत्र है और यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति के हित ऐसे उपयोग के कारण प्रतिकूल प्रभावित नहीं होते हैं;

11. अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में सम्बंधित रिपोर्ट;

12. अपने अधिकार के भीतर कार्य करना, कंपनी, शेयरधारकों और इसके कर्मचारियों के वैध हितों की रक्षा करने में सहायता करना;

13. वाणिज्यिक, गुप्त, प्रौद्योगिकी, विज्ञापन और बिक्री संवर्धन योजना, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना सहित गोपनीय सूचना को प्रकट न करे, जब तक कि इस तरह के प्रकटीकरण की बोर्ड द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकृति न दी गई हो या कानून द्वारा अपेक्षित न हो;

7.0 कानून का अनुपालन

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक सभी लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करेंगे ।

8.0 अन्य निदेशक पद

जब तक बोर्ड द्वारा विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है, बोर्ड के सदस्य किसी अन्य कंपनी के निदेशक या फर्म के साझीदार के रूप में सेवा नहीं करेंगे, जो कंपनी के साथ एक प्रतिस्पर्धी व्यापार में लगी हुई हैं। यह खंड पदेन सरकार के नामित निदेशकों पर लागू नहीं है । वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक किसी भी अन्य कंपनी या फर्म के साझीदार के निदेशक पद को स्वीकार करने के लिए प्रबंध निदेशक / सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेगा ।

9.0 संबंधित पार्टी के प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 और इसके अधीन बनाए गए नियमों / विनियमों के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के सदस्यों को निदेशक मंडल के सामने खुलासा करना होगा और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक प्रबंध निदेशक / सक्षम प्राधिकरण को खुलासा करेगा।

10.0 सूचना की गोपनीयता

कंपनी के व्यवसाय, उसके ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, आदि से संबंधित कोई सूचना और जिसमें बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के पास ऐसी सूचना है या रखते हैं, उसे गोपनीय माना जाएगा और इसे गोपनीय रखेगा । कोई भी बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिक प्रेस या किसी भी अन्य प्रचार मीडिया को औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कोई जानकारी मुहैया नहीं करेगा जब तक विशेष रूप से अधिकृत न किया गया हो बशर्ते कि बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक इस तरह की निम्नलिखित जानकारी का खुलासा करने के लिए स्वतंत्र होगा:

(क) प्रकटीकरण के समय सार्वजनिक डोमेन का हिस्सा:

(ख) बोर्ड के किसी निर्णय के अनुसरण में प्रकट करने के लिए अधिकृत या अपेक्षित है;

(ग) लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों या किसी भी प्राधिकरण के अनुसार खुलासा करना आवश्यक है ।

11.0 संपत्ति की सुरक्षा

बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक भौतिक संपत्तियों, सूचनाओं और बौद्धिक अधिकारों सहित कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करेंगे और निजी लाभ के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे ।

12.0 आचार संहिता का प्रवर्तन

प्रत्येक बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक इस संहिता के पालन के लिए जवाबदेह है।

13.0 संहिता में संशोधन

इस संहिता के प्रावधानों को कंपनी के निदेशक मंडल या समय-समय पर बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजन के अनुसार प्रबंध निदेशक द्वारा संशोधित / उपांतरित किया जा सकता है और ऐसे सभी संशोधन / उपांतरण उसमें उल्लिखित तिथि से प्रभावी होंगे ।

14.0 वेबसाइट पर संहिता का स्थानन

इस संहिता और उसमें कोई भी संशोधन को कंपनी की वेबसाइट पर देना होगा ।

15.0 वार्षिक अनुपालन रिपोर्टिंग

सभी बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर इस संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि करेगा । वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट का एक प्रोफार्मा इस संहिता को परिशिष्ट -2 के रूप में संलग्न है । वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट कंपनी सचिव को इस तरह के प्रारूप में और समय-समय पर निर्धारित तरीके से भेजनी होगी ।

16.0 इस कोड के गैर-अनुपालन के परिणाम

इस संहिता के उल्लंघन के मामले में, आवश्यक समझी जाने वाली उपयुक्त कार्रवाई शुरु करने के लिए निदेशक मण्डल द्वारा विचार किया जाएगा ।

17.0 इस संहिता की प्राप्ति की अभिस्वीकृति

सभी बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों को इस संहिता की प्राप्ति या इसके किसी भी संशोधन (संशोधनों) की प्राप्ति की पावती इस संहिता के साथ संलग्न प्रपत्र परिशिष्ट-**III** में देनी होगी और इसे कंपनी सचिव को अग्रेषित करनी होगी।

18.0 स्पष्टीकरण

बोर्ड के सभी सदस्यों या वरिष्ठ प्रबन्धन को इस आचार संहिता के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह निदेशक मण्डल द्वारा विशेष रूप से अभिहित कंपनी सचिव से संपर्क कर सकते हैं।

परिशिष्ट-I

सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) के उद्धरण

धारा 2 (77) - किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में "नातेदार", का अर्थ कोई एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से सम्बंधित है यदि :

(i) वे एक हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं;

(ii) वे पति और पत्नी हैं; या

(iii) एक व्यक्ति दूसरे से संबंधित है, जैसा कि विहित किया जा सके

कंपनी (परिभाषा विवरण की विनिर्दिष्टि) नियम, 2014 के नियम 4

नातेदारों की सूची

एक व्यक्ति को दूसरे का नातेदार माना जाएगा, यदि वह किसी दूसरे से निम्नानुसार सम्बंधित है, अर्थात्: -

(1) पिता: ("पिता" में सौतेल पिता शामिल है)

(2) माता: ("माँ" में सौतेली मां शामिल है)

(3) पुत्र: ("पुत्र" में सौतेला पुत्र भी शामिल है)

(4) पुत्र की पत्नी

(5) पुत्री

(6) पुत्री का पति

(7) भाई: ("भाई" में सौतेला भाई शामिल है)

(8) बहन: ("बहन" में सौतेली बहन भी शामिल है

परिशिष्ट II

सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचरण संहिता

वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट

मैं .... एतद्वारा सत्यनिष्ठा से यह पुष्टि करता हूं कि मेरी जानकारी और पूर्ण विश्वास के अनुसार मैनें 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

दिनांक:

स्थान:

* हर साल 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाना है।

परिशिष्ट- III

सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता

अभिस्वीकार्यता प्रपत्र

मैंने, ...बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों के लिए ''आचार संहिता'' (यह संहिता) को प्राप्त किया है और पढ़ा है । इस संहिता में दिए गए प्रावधानों और नीतियों को मैंने समझा है और मैं इस कोड का अनुपालन करने के लिए सहमत हूं ।

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

दिनांक:

स्थान: